बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

क्रमांक /2504/भंडार–सा.प्र./ब.वि.वि./2021–22 जगदलपुर, दिनांक–13/04/2021

//सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना//

बस्तर विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या पी.एण्ड टी. अधिकृत कोरियर से दिनांक 17/05/2021 के दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा के नियम –शर्त, योग्यता, प्रपत्र एवं धरोहर राशि इत्यादि की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय का वेबसाईट **www.bvvjdp.ac.in** का अवलोकन करें।

कुलसचिव

13/04/2021

Registrar
Bastar University
Jagdalpur (C.G.)

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

(धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ.ग.) 494001

दूरभाष एवं फैक्स –07782–229297

सूचना एवं अन्य निर्देश

1. वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड –19) से उत्पन्न परिस्थितियो के अनुसार भारत सरकार/राज्य शासन/जिला प्रशासन/विश्वविद्यालय प्रबंधन के आदेशों/निर्देशों के तारतम्य में निविदा खोलने की तिथि परिवर्तनीय हो सकती है। ऐसी स्थिति में निविदा खोलने की तिथि की जानकारी हेतु प्रस्तुतकर्ता कृपया इस वेबसाईट का सतत रूप से अवलोकन करते रहें।
2. क्रय समिति की बैठक में कोविड –19 टेस्ट रिपोर्ट जो कि अधिकतम 48 घंटे पूर्व का हो, उक्त रिपोर्ट दिखाने पर प्रतिनिधि को क्रय समिति के अध्यक्ष के अनुमति से बैठक में सम्मिलित किया जा सकता है।
3. क्रय समिति की बैठक में फर्म प्रतिनिधि का व्यवहार अनुचित होने पर उन्हे बैठक से निष्कासित करने का अधिकार क्रय समिति का होगा। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्हे संबंधित जानकारी देनी होगी।
4. क्रय समिति चाहे तो एक ही दिन टेक्निकल बीड एवं फाईनेंसियल बीड खोला जा सकता है अन्यथा टेक्निकल बीड खोलने के बाद आगामी बैठक में योग्य फर्मो के निविदा का फाईनेंसियल बीड खोला जा सकेगा।

13/04/2021

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें
(प्रपत्र "एक" से प्रपत्र "चार" तक)

फॉर्म नंबर –
निविदा फार्म का मूल्य :- 5000-00
वि.वि. रसीद क्रमांक –
दिनांक –

//बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)//

विश्वविद्यालय परिसर में भवन एवं संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु पंजीकृत सक्षम श्रेणी (ए–1 एवं उच्च श्रेणी) के ठेकेदार/फर्म से सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर रू. 5000 =00 (पांच हजार) नगद भुगतान करते हुये कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त प्रपत्र विश्वविद्यालय के वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं किंतु डाउनलोड प्रपत्र के साथ रू. 5000 =00 (पांच हजार) मात्र का प्रपत्र राशि का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त डिमांड ड्राफ्ट, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से बनाया जाये। निविदा आवेदन के साथ अमानत राशि रू. 2,00,000 =00 (दो लाख) का डी.डी. संलग्न करें। उक्त डिमांड ड्राफ्ट, **कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर** के नाम से बनाया जाये।

निविदा प्रपत्र बिक्री प्रारंभ होने की तिथि – दिनांक 19.04.2021 समय पूर्वान्ह 11.00 बजे से
निविदा प्रपत्र बिक्री की अंतिम तिथि – दिनांक 12.05.2021 समय सांय 05.00 बजे तक
वि.वि. में निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि – दिनांक 17.05.2021 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 17.05.2021 समय सांय 4.00 बजे

कुलसचिव 13/04/2021

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

—:निविदा प्रपत्र:—

नोट :— निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सुरक्षा एजेंसी की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें ।

प्रपत्र एक

प्रति,

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय
जगदलपुर (छ.ग.)

महोदय,

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक/........../ब.वि.वि./भण्डार– सा. प्रशा./2021 जगदलपुर, दिनांक......../04/2021 के संदर्भ में मेरा आवेदन एवं निविदा प्रस्तुत है तथा मैं वचन देता हूँ कि यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं विश्वविद्यालय द्वारा निविदा–प्रपत्र में, विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत अनुबंध कंडिकाओं तथा संदर्भित निविदा विज्ञापन में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन करते हुए सुरक्षा ठेके का कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अमानत राशि रू. **2,00,000 . 00**. (दो लाख) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो ....बैंक का है तथा कुलसचिव, बस्तर विश्वविलय, जगदलपुर को देय है, की मूल प्रति संलग्न कर रहा हूँ ।

मुझे वर्तमान में संबंधित क्षेत्र एवं कार्य का निम्नानुसार अनुभव है :—

01. नाम व पता :————————————————

————————————————

02. यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम एवं पता यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म है तो व्यक्तिगत पंजीकृत प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न की जावे यदि पंजीकृत भागीदारी फर्म नहीं है तो व्यक्तिगत भागिता–पत्र की नोटरी से सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये । :————————————————

————————————————

————————————————

03. पूर्व कार्यो के अनुभव का विवरण का संबंधित संस्थान के नाम –पते एवं परफॉरमेन्स रिपोर्ट सहित देवें (अलग शीट पर विवरण संलग्न करें)। :————————————————

04 वर्तमान में कितने सुरक्षा कर्मचारी आपकी ठेकेदारी में कार्यरत है । :————————————————

05 वर्तमान में जहां कार्य चल रहा हो, उस संस्थान का नाम व पता (समर्थन में पत्र/आदेश . प्रति संलग्न की जावें) :————————————————

06 सुरक्षा ठेके संबंधी जीवित लेबर लायसेंस का विवरण (लायसेंस के प्रमाण पत्र की छायाप्रति की जावें) :————————————————

07 भविष्य निधि कोड नं. एवं वर्करमेन कम्फरमेशन :————————————————

पालिसी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावें)।

08	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे)	:————————————
09.	शासन द्वारा प्रदायित पेन नंबर एवं टिन (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	:————————————
10	साल्वेन्सी सर्टीफिकेट (न्यूनतम दस लाख प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर)।	:————————————
11	सत्र 2019–20 में आयकर भुगतान के चालान की छायाप्रति संलग्न करें ।	:————————————

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा मैने कोई गलत जानकारी नहीं दी है।

स्थान : .... हस्ताक्षर : ....

दिनांक : .... नाम : ....

दूरभाष नंबर : .... मुहर : ....

मोबाईल नंबर : ....

फैक्स नंबर : ....

टीप :– अभिलेखों की छायाप्रतियों को निविदाकार के द्वारा अपने पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है । स्वयं सत्यापन के हस्ताक्षर के नीचे निविदाकार को अपना पूर्ण नाम एवं दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा ।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

प्रपत्र दो

निविदा की विशेष शर्तें :—

1. निविदा निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एण्ड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय में सीधे प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

   निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा। डाक/कोरियर के माध्यम से प्रेषित निविदा निविदा जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 17.05.2021 समय अपरान्ह 3.00 बजे के पश्चात् विलंब से प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदेह नहीं होगा।

2. वही एजेंसी अथवा निविदाकार की निविदा मान्य की जाएगी, जो निम्नानुसार पात्रता रखते हों :—

   (अ) जिसमें छत्तीसगढ़ के शासकीय, अर्द्धशासकीय, राजकीय विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, संस्थानों में न्यूनतम 02 वर्ष का सुरक्षा संबंधी कार्य किया जो तथा किसी एक कार्यादेश की न्यूनतम क्षमता 50 सुरक्षा कर्मी की हो। समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें।

   (ब) जिस एजेंसी के पास ऐसे दो ठेके वर्तमान में संचालित हो, जिसका पारिश्रमिक रू. 15 लाख प्रतिवर्ष से कम न हो। (इसके समर्थन में एजेंसी का कार्यादेश/अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

3. अमानत राशि एवं आवश्यक विवरण जो कि विश्वविद्यालय द्वारा चाहा गया है, संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाएं निरस्त मानी जावेगी।

4. निविदाएं निर्धारित तिथि को विश्वविद्यालय के कुलसचिव कक्ष में दिनांक 17.05.2021 को समय अपरान्ह 04.00 बजे खोली जावेगी। निविदा खोलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि (निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित प्राधिकार के साथ) उपस्थित हो सकते हैं किंतु बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति क्रय समिति अध्यक्ष द्वारा दिया जा सकेगा।

5. सुरक्षा एजेंसी को विवरण में समस्त शुल्क का विवरण जैसे समूह बीमा में अंश, ईपीएफ का अंश, सुरक्षा गार्ड/गनमैन/विभिन्न प्रकार के टैक्स/सेवा शुल्क तथा सुरक्षा एजेंसी का अपना सेवा शुल्क आदि देना होगा ।

6. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अपना सेवा शुल्क न लेने की स्थिति में यह स्पष्ट करें कि वह अपने खर्च की पूर्ति कैसे करेंगे तथा शासन द्वारा प्रदत्त सभी शर्तों का पालन किस प्रकार करेंगे ।

7. सुरक्षा एजेंसी को शासन एवं विश्वविद्यालय के सभी नियम मानने होगें तथा उल्लंघन की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी ।

8. सुरक्षा एजेंसी में संलग्न सभी सुरक्षा कर्मियों का ईपीएफ, बीमा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होना अनिवार्य है, जिसकी सूची संलग्न करनी होगी तथा उक्त से संबंधित संस्थाओं में जमा राशि की रसीद की छायाप्रति जमा करनी होगी ।

9. सुरक्षा एजेंसी को शासन के द्वारा निर्धारित सभी करों का उल्लेख निविदा प्रपत्र में देना अनिवार्य है ।

10. सुरक्षा एजेंसी को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर का पालन करना होगा एवं किसी भी सुरक्षा कर्मी को सुरक्षा एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम देय नहीं होगा ।

11. यदि सुरक्षा एजेंसी का न्यूनतम दर प्राप्त होता है और शासन के करों तथा अन्य विवरण का उल्लेख नहीं है तो भी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी ।

12. आवश्यकतानुसार निविदाकर्ताओं से चर्चा कर दरें एवं अन्य शर्तें निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। चर्चा की तिथि विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार निर्धारित करेगा ।

13. विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा को अस्वीकृत करने अथवा स्वीकार न करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

14. ऐसे निविदाकर्ता जो कि निविदा में विश्वविद्यालय की निर्धारित शर्तो को पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, उन्हें चर्चा की स्थिति में प्राथमिकता दी जा सकती है ।

15. ऐसी निविदाएं जो सशर्त प्रस्तुत की गई है, स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
16. यदि एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा सुरक्षा ठेका प्रस्ताव दिया जाता है एवं संबंधित निविदाकर्ता अपनी निविदा निष्पादित कराने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा जमा की गई अमानत की राशि विश्वविद्यालय द्वारा ज़प्त कर ली जावेगी ।
17. निविदा के साथ अमानत राशि रू. **2,00,000.00**. (रू. दो लाख मात्र) जमा करना अनिवार्य है । यह राशि निविदा स्वीकृत होने की दशा में प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकगी। अमानत राशि कुलसचिव, बस्तर विश्वविलय, जगदलपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।
18. ऐसे निविदाकर्ता जिनकी निविदाएं विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकृत की जाती है, उनकी अमानत राशि निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् एवं एक माह के अंदर लौटाई जा सकेगी ।
19. निविदाकर्ताओं का नियोजन के रूप में भविष्यनिधि का स्वंय का कोड होना आवश्यक है ।
20. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में भरे गए दर राज्य एवं केन्द्र सरकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए होना चाहिए ।
21. निविदाकर्ता को निविदा साथ संलग्न पेन नंबर या आयकर निर्धारण प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
22. निविदाकर्ता निविदा भरने के पूर्व स्वयं के व्यय से बस्तर विश्वविलय, जगदलपुर परिसर का अवलोकन कर लें, जिससे भविष्य में किये जाने वाले कार्य की प्रकृति, मात्रा एवं वृहदता की जानकारी हो सकें ।
23. यदि दो या दो से अधिक सुरक्षा एजेसीयों द्वारा समान दर एवं अन्य शुल्क समान होने पर विश्वविद्यालय में सुरक्षा कार्य करने के अनुभव वाली सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है ।
24. पिछले वित्तीय वर्ष के दरम्यान EPF एवं सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन में जमा किये गये चालानों की छायाप्रति नविदाकर्ता संलग्न करेंगे।
25. लेबर लायसेंस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. आकस्मिक दुर्घटना/धन--जन हानि/अन्य आपदा इत्यादि की स्थिति में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नही होगी। निविदाकर्ता/ठेकेदार अपने कर्मियो की समूह पालिसी की जिम्मेदारी स्वयं निर्वाह करेंगें।
28. सफल निविदाकार को कार्य आबंटन एवं सुरक्षा की रूपरेखा दर्शित करने वाली सामग्रियां तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सुरक्षा कर्मियों एवं गनमेन सुरक्षा अधिकारियों के नाम, पते (स्थायी/अस्थायी), टेलीफोन
29. नंबर उपलब्ध कराते हुए चरित्र इत्यादि का सत्यापन निविदाकार को करना होगा ।
30. कर्मचारी स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं पुलिस वेरीफिकेशन स्थायी निवास के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का प्रमाण पत्र द्वारा उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही कार्य पर लगाए जाएगें । यह निविदाकार की जबावदेही होगी ।
31. किसी भी दिन निर्धारित तिथि को 2 प्रतिशत से अधिक सुरक्षा कर्मचारी अनुपस्थित नही रहेगें । अन्यथा हर व्यक्ति के नाम से रूपये 300/– प्रति दिन दण्ड राशि सुरक्षा गार्ड/गनमेन के वेतन से कटौती की जावेगी। आवश्यकता होने पर आपातकाल में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तत्काल निविदाकार के द्वारा करना अनिवार्य होगा।
32. निविदा तीन पृथक–पृथक लिफाफे में अर्थात प्रथम लिफाफे में फ्री क्वालीफिकेशन द्वितीय लिफाफे में अमानत राशि तथा तृतीय लिफाफे में दर अनुसूची से संबंधित विषय अंकित करते हुए तीनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गयी निविदा ही मान्य की जावेगी । लिफाफे के उपर **"सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित निविदा तथा कमांक एवं दिनांक"** अंकित करना अनिवार्य होगा ।
33. समस्त संलग्न छायाप्रतियां सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जाएगी।
34. स्वीकृत फर्म को विश्वविद्यालय के कंडिकाओं के अनुसार अनुबंध करना होगा। निविदा अनुबंध की तिथि से 01 वर्ष तक वैद्य होगी किंतु फर्म का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनो फर्मो की सहमति

से निविदा को पुनः 01 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। जिसे सतत रूप से अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

35. सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन लापरवाही पूर्वक ड्यूटी करते पाये जाने पर अर्थदण्ड 2 प्रतिशत कुलराशि के बिल में कटौती कर ली जावेगी।

36. किसी प्रकार के विवाद, अस्पस्टता की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपतिजी का होगा, जो न्यायालीन परिधि से बाहर होगा। माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

मैंने उपरोक्त उल्लेखित नियमों एवं शर्तो को ध्यानपूर्वक पढा और स्पष्ट रूप से समझा है और उपरोक्त नियम एवं शर्तो से मैं पूरी तरह से सहमत हूं तथा पालन के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

–:पूर्व योग्यता जॉच सूची:–

क्र.	विवरण	हॉ	नहीं	पृष्ठ कमांक
01	पेन नंबर (छायाप्रति संलग्न करें)			
02	जीवित लेबर लायसेंस प्रमाण–पत्र			
03	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन			
04	साल्वेन्सी प्रमाण पत्र (न्यूनतम रू. दस लाख)			
05	भविष्य निधि प्रमाण पत्र कोड सहित			
06	उचित श्रेणी में पंजीयन प्रमाण पत्र			
07	अनुभव प्रमाण पत्र/परफार्मेस सर्टीफिकेट			
08	वर्तमान में कार्यरत संस्थान का नाम			
09	एजेन्सी की वार्षिक टर्न ओव्हर पिछले तीन वर्षो में न्यूनतम——————रूपये प्रतिवर्ष रहने की सी.ए.से प्रमाणित अंकेक्षण वित्तीय पत्रक			
10	आयकर निर्धारण पत्रक			
11	वर्कमेन कम्फरमेशन पॉलिसी (जीवित) की छायाप्रति			
12	अमानत हेतु निर्धरित राशि की डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से देय हो, संलग्न करें			
13	दर अनुसूची			
14	आयकर भुगतान चालान की छायाप्रति एवं 2019–20 का संलग्न करना अनिवार्य है।			

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

–:दर अनुसूची:–

प्रपत्र–तीन

महोदय,

1. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा जारी निविदा क्रमांक/ /ब.वि.वि./भण्डार– सा.प्रशा. /2021 जगदलपुर, दिनांक /04/2021 के संदर्भ में मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तुत की गयी है, जो सभी प्रकार के शुल्क सहित है ।
2. मेरे/हमारे द्वारा अमानत राशि रू. **2,00,000 . 00**. (रू. दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... जो .... बैंक का है तथा कुलसचिव, बस्तर विश्वविलय, जगदलपुर को देय है, जो इस निविदा प्रपत्र के साथ मूलतः संलग्न किया गया है ।
3. मेरे/हमारे द्वारा निम्नानुसार दरें प्रस्तावित है :—

क्र.	सुरक्षा कर्मियों का पदनाम	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (अंको में)	दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (शब्दों में)
01	सुरक्षा गार्ड प्रति शिफ्ट	रू.	रू. ....
02	गनमैन प्रति शिफ्ट	रू.	रू. ....
03	टैक्स शुल्क	रू.	रू. ....
04	सेवा शुल्क	रू.	रू. ....
05	अन्य शुल्क	रू.	रू. ....

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दरें निविदा के नियम व शर्तों के अनुसार भरा गया है, जो समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये लेबर कानून एवं नियम के अनुसार प्रदत्त सभी सुविधाओं एवं दायित्वों के पालन सहित है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर :————————————

फर्म का नाम व पता : ————————————

————————————————————

————————————————————

फर्म की सील/स्टाम्प :————————————

फोन व मोबाईल नंबर :————————————

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

सुरक्षा ठेके की शर्तें :--- प्रपत्र चार

1. सुरक्षा ठेका कार्यादेश में उल्लेखित समय के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जावेगा। इन्हीं स्वीकृत दर एवं शर्तों के आधार पर संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष करके सतत रूप से अधिकतम तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा गार्ड/गनमेन का कार्य असंतोषजनक पाये जाने या सुरक्षा कार्य में लापरवाही पाये जाने पर या विश्वविद्यालय के अधिकारियों के निर्देशों के अवहेलना करने पर प्राप्त लिखित शिकायत/प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने से पूर्व अथवा जांच समिति गठित कर जांच कराये जाने पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदन पर कुलपति के अनुमोदन पश्चात् सुरक्षा ठेका बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त/निरस्त किया जा सकेगा। सुरक्षा एजेंसी को सुनवाई का अवसर दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
2. सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर व परिसर में स्थित सभी भवनों एवं कार्यालयीन संपत्ति की दिन–रात (24 घंटे) सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेगा।
3. सुरक्षा एजेंसी या सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा गार्ड/गनमेन संभावित होने वाली घटनाओं तथा चोरी, नुकसान एवं संपत्ति की क्षति से सुरक्षा करेगी। किसी प्रकार की घटना घटित होने पर उसकी मौखिक एवं लिखित सूचना विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग को अविलंब दी जावेगी। प्राप्त मौखिक एवं लिखित सूचना विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकारियों की एक/दो/तीन सदस्यीय समिति गठित कर प्रकरण की जांच की जावेगी। जांच उपरांत सुरक्षा एजेंसी को उत्तरदायी पाए जाने पर विश्वविद्यालय को जो क्षति हुई है, उसकी वसूली एजेंसी के देयक से की जावेगी अथवा राजस्व वसूली की तरह वसूली की जायेगी।
4. सुरक्षा एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में आने–जाने वाले समस्त प्रकार की सामग्री तथा परिसर के भीतर प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले सभी वाहनों/व्यक्तियों के रिकार्ड रखने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
5. सुरक्षा एजेंसी स्वयं के व्यय से सुरक्षा गार्ड/गनमेन को वर्दी, प्रोटेक्टिव गारमेंट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराएगी, ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित हो। अनुबंधकर्ता द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा गार्ड/गनमेन को पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जारी पहचान पत्र (जिसमें उनका नाम, उम्र तथा स्थानीय पता (स्वयं का एवं अनुबंधकर्ता के दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ) दर्ज हो) धारण करते हुये प्रत्येक शिफ्ट में ड्यूटी करना होगा, उक्त पहचान–पत्र सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी अथवा प्रशासन विभाग के अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
6. सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड/गनमेन की उपस्थिति पंजी रखा जावेगा, जिसकी जांच समय–समय पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत सुरक्षा व्यवस्थापक एवं विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी किया जावेगा। प्रत्येक शिफ्ट में सुरक्षा गार्ड/गनमेन की उपस्थिति पंजी में दर्ज किये जाने के पश्चात् विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी को सौंपना होगा।
7. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अग्निशामक (आग बुझाने वाले) उपकरणों का रख–रखाव भी सुनिश्चित किया जावेगा एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण/परीक्षण करना होगा, ताकि आकस्मिक आगजनी घटनाएं घटित होने पर त्वरित गति से काबू पाया जा सके। सुरक्षा गार्ड/गनमेन को अग्निशामक (आग बुझाने वाले) उपकरणों का रख–रखाव एवं उपयोग कैसे करना है, की व्यावहारिक जानकारी होना अनिवार्य होगा।
8. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय परिसर, भवन, प्रयोगशालाओं, स्टोर, कमरों के अंदर या बाहर रखी गई सामग्री को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। यदि ऐसी कोई सामग्री असुरक्षित रूप से बाहर रखी हुई दिखाई देती है तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा उसकी लिखित सूचना प्रबंधन को दी जावेगी।
9. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनाधिकृत एवं निषिद्ध व्यक्ति परिसर में प्रवेश न कर सके।
10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मियों को विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष भुगतान कर प्रबंधन के प्रतिनिधि के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के साथ देयक पांच तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

देयक के साथ एजेंसी द्वारा भुगतान किये गये वेतन--पत्रक की छायाप्रति, सत्यापित उपस्थिति पत्र तथा गत माह सुरक्षा कर्मियों से काटे गए भविष्य निधि राशि शासकीय कोष में जमा किये चालान की छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा एजेंसी का देयक अपूर्ण मानकर उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। यदि एजेंसी द्वारा नियोजित कर्मचारियों को नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन अथवा किसी कर्मचारी को वेतन न मिलने की शिकायत प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त कर्मी को ठेकेदार की ओर से सीधे भुगतान कर दिया जाएगा एवं एजेंसी से उक्त राशि वसूल की जाएगी। इस प्रकार श्रम कानूनों के अंतर्गत एजेंसी द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

11. सुरक्षा एजेंसी द्वारा अनुबंध के उल्लंघन एवं चूक करने की दशा में विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना जांच के अथवा यथोपरि जांच के पश्चात सुरक्षा ठेका निरस्त कर दिया जाएगा एवं ऐसे प्रकरण में जमा की गई अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
12. सुरक्षा एजेंसी को रिकार्ड रखने, बैठने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु प्रशासन विभाग द्वारा स्थान उपलब्ध कराएगा।
13. ठेके के दौरान सुरक्षा एजेंसी, विश्वविद्यालय के कार्यरत कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा एजेंसी में कार्य पर नहीं ले सकेगी।
14. सुरक्षा एजेंसी को अपने सुरक्षा गार्ड/गनमेन को कार्य पर रखने के पूर्व विश्वविद्यालय प्रषासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। किसी भी सुरक्षा गार्ड/गनमेन के आचरण/व्यवहार में शंका पाये जाने पर अथवा प्रशासन द्वारा सूचना दिये जाने पर एजेंसी द्वारा तत्काल उक्त कर्मी को हटा दिया जाएगा।
15. सुरक्षा एजेंसी को यह अधिकार होगा कि वह मुख्य प्रवेश द्वार से आने--जाने वाले वाहन, विश्वविद्यालय के अधिकारियों/शिक्षकों/कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं बाहरी व्यक्तियों की तलाशी ले सकती है एवं विश्वविद्यालय परिसर में भवनों, प्रयोगशालाओं, स्टोर, कमरों के अंदर भी आवश्यकतानुसार तलाशी ली जा सकती हैं। परन्तु तलाशी पूर्व विश्वविद्यालय प्रषासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तलाशी के दौरान सुरक्षा गार्ड/गनमेन को सौम्य, सरल एवं मर्यादित व्यवहार रखना अनिवार्य होगा। महिलाओं की तलाशी केवल महिला सुरक्षा गार्ड द्वारा ही किया जा सकेगा। अतः सुरक्षा एजेंसी को कम से कम 3 महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था अनिवार्यतः करना होगा।
16. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने सुरक्षा गार्ड/गनमेन को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान बैंक एकाउन्ट के माध्यम से देगी। सुरक्षा गार्ड/गनमेन को देय मासिक/दैनिक वेतन/पारिश्रमिक श्रमायुक्त, छ.ग. शासन/कलेक्टर, जिला--बस्तर द्वारा समय--समय पर निर्धारित न्यूनतम मासिक/दैनिक वेतन/पारिश्रमिक से कम नहीं होगा। ईपीएफ, अंशदान एवं सुरक्षा गार्ड/गनमेन को प्रदत्त सुविधाओं के लिए समस्त राशि सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत देयक से काटकर विश्वविद्यालय द्वारा जमा की जा सकेगी। सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा गार्ड/गनमेन को वेतन/पारिश्रमिक भुगतान एवं नियमानुसार एलाउन्स आदि का भुगतान निर्धारित काउन्टर/कक्ष से विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत प्रशासन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कर सकेगा।
17. सुरक्षा एजेंसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह छत्तीसगढ़ में लागू होने वाले समस्त श्रम कानूनों जैसे--फैक्ट्री एक्ट, श्रम संविदा अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम एवं अन्य संबंधित अधिनियमों तथा श्रम विभाग, छ.ग. शासन द्वारा श्रमिकों/ठेका कर्मियों के हित में समय--समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन पालन करें। सुरक्षा एजेंसी की गलती की वजह से यदि शासन द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को दण्ड निर्धारित किया जाता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वे सुरक्षा एजेंसी को किये जाने वाले भुगतान से इस प्रकार की क्षति को समायोजित किया जावेगा।
18. सुरक्षा एजेंसी का कोई भी सुरक्षा गार्ड/गनमेन कार्य अवधि में किसी भी प्रकार की ट्रेड यूनियन/संघ आदि की अवैधानिक गतिविधियों/हड़ताल में भाग नहीं लेगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि उनके द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित की जावेगी।
19. विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय--समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का कड़ाई से पालन करना एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए सुरक्षा एजेंसी उत्तरदायी होगी। किसी भी स्थिति में सुरक्षा गार्ड/गनमेन एक दिन में लगातार दो शिफ्टों में कार्य नहीं करेगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी, अन्यथा एजेंसी का भुगतान रोककर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा।

20. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा अमले की तैनाती के संबंध में समय–समय पर निर्देश दिया जावेगा, जिसका सुरक्षा एजेंसी को पालन करना अनिवार्य होगा।
21. सुरक्षा एजेंसी विश्वविद्यालय प्रशासन की आवश्यकता एवं निर्देश अनुसार समय प्रबंधन एवं आफिस रिकार्ड आदि रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
22. सुरक्षा एजेंसी डेली रिर्पोट तैयार करेगी एवं उस रिर्पोट को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
23. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा एजेंसी को किसी भी प्रकार की लिपिकीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगी। सुरक्षा एजेंसी स्वयं व्यवस्था करेगी।
24. सुरक्षा एजेंसी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा को सुरक्षा ठेके को निरस्त करने का अधिकार होगा।
25. सुरक्षा एजेंसी को अपने कर्मचारियों के लिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड आदि देने होगें एवं उसे पूर्ण करना तथा उनका व्यवस्थित रिकार्ड एजेंसी को स्वयं ही रखना होगा। जिसकी एक प्रति भुगतान देयक के साथ कार्यालय में जमा करवानी होगी। निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान संबंधित रिकार्ड चेक कराने होंगे।
26. विश्वविद्यालय प्रबंध के परिसर में धुम्रपान/मदिरापान पूर्णतः वर्जित है। यदि सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो प्रबंधन को स्वविवेक से सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना करने का अधिकार होगा। सुरक्षा एजेंसी दोषी सुरक्षाकर्मी को तत्काल विष्वविद्यालय की सुरक्षा सेवा से हटा देगी।
27. सुरक्षा एजेंसी अपने कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई कटौती अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु उत्तरदायी होगी एवं इसका संपूर्ण अधिकार एवं रिकार्ड एजेंसी द्वारा स्वयं रखा जावेगा तथा सत्यापन हेतु यह रिकार्ड विश्वविद्यालय प्रशासन को समय–समय पर प्रस्तुत किया जावेगा।
28. निविदाकर्ता उनके द्वारा दी गई दरों को संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर रिक्त स्थान में सुरक्षा एजेंसी की अधिकृत मोहर लगाकर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना होगा।
29. विश्वविद्यालय प्रशासन को वर्तमान में आवश्यक सुरक्षा गार्ड/गनमेन की अनुमानित संख्या निम्नानुसार है:–

पद नाम	शिफ्ट (प्रति शिफ्ट 8 घंटा कार्यावधि)		
	प्रथम शिफ्ट	द्वितीय शिफ्ट	तृतीय शिफ्ट
सुरक्षा गार्ड	15	15	15
गनमेन	01	01	01

यह संख्या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। निविदाकर्ता अपनी दरें एवं सर्विस चार्जेस का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित प्रपत्र में ही करें।
30. यदि विश्वविद्यालय प्रशासनएवं सुरक्षा एजेंसी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया निर्णय सुरक्षा एजेंसी एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
31. **(अ)** विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों, समय–सारिणी एवं निर्धारित स्थल पर एजेंसी को सुरक्षा कर्मी पदस्थ करना अनिवार्य होगा। नियोजित सुरक्षा गार्ड/गनमेन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन सुरक्षा गार्ड/गनमेन की न्यूनतम उंचाई 160 से.मी. (बिना जूता पहने) तथा न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम अथवा उम्र एवं उंचाई के आनुपातिक होना चाहिए। इन जवानों को छत्तीसगढ़ी एवं हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, बस्तर क्षेत्र के स्थानीय बोली का भी ज्ञान वांछनीय है। इन्हें चिकित्सकीय रूप स्वस्थ्य होने का प्रमाण पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा इनको जारी पहचान पत्र अनुबंध आरंभ होने के साथ–साथ विश्वविद्यालय में इनसे संबंधित निम्न जानकारी देते हुये आवश्यक दस्तावेज अनिवार्यतः जमा करना होगा:–
    1. सुरक्षा गार्ड/गनमेन का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि जानकारी।
    2. स्थायी पता एवं वर्तमान पता, मोबाईल नंबर, आदि।
    3. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, प्रशिक्षण में सहभागिता प्रमाण पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र।
    4. सक्षम अधिकारी द्वारा अद्यतन जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आईडी आदि।
    5. पासपोर्ट आकार के 3 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ।

(ब) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा नियोजित सुरक्षा गार्ड/गनमेन पूर्ण मुस्तैदी से एवं जागरूकता से कार्य संपादित करें तथा पूर्ण अनुशासित रहें। एजेंसी के कर्मचारियों की लापरवाही से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली एजेंसी से की जावेगी। इसी प्रकार कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी सजगता से न किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उपरोक्त पेनाल्टी एजेंसी से ली जावेगी। इस संबंध में माननीय कुलपतिजी का निर्णय अंतिम होगा।

(स) एजेंसी द्वारा असंतोषप्रद कार्य किये जाने पर अथवा अनुबंध की कंडिकाओं का उल्लंघन किये जाने पर अथवा लापरवाहीपूर्वक किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रकरण के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए एजेंसी की सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी तथा एजेंसी द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राषि राजसात कर ली जावेगी अथवा एक माह का नोटिस देकर यह ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात कर लिया जाएगा। इस संबंध में कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा।

32. विश्वविद्यालय प्रशासन का यह अधिकार सुरक्षित है कि समस्त परिसर हेतु सुरक्षा व्यवस्था का ठेका एक ही अथवा विभिन्न सुरक्षा एजेंसी को आवंटित करे।
33. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जो शर्तें, नियम, ठेका, अवधि, सुरक्षा गार्ड/गनमेन की संख्या आदि में किए गए संशोधन को निविदाकार द्वारा मान्य करना होगा।
34. प्रत्येक अवकाश दिवसों में एवं प्रत्येक दिवस की रात्रि में विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति महोदय के निवास के बाहर एक सशस्त्र सुरक्षा कर्मी (आर्म्ड) लगातार गश्त करेंगे तथा कार्यालयीन दिन में कुलपति महोदय की सुरक्षा में प्रत्येक शिफ्ट में एक–एक सशस्त्र सुरक्षा कर्मी (आर्म्ड) लगातार संलग्न रहेंगे। अन्य सुरक्षा कर्मी निश्चित स्थान पर टार्च, लाठी एवं सीटी आदि से लैस होकर ड्यूटी करेंगे। उक्त सामग्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराना होगा।

सुरक्षा ठेके की उक्त प्रावधान क्रमांक 01 से 34 के तहत ही सुरक्षा एजेंसी का ठेका मान्य होगा।

13/04/2021

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)